"बिज़िनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 फरवरी 2006—फाल्गुन 3, शक 1927

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक 1328/839/06/19/तक.—टोल टेक्स 1851 (क्रमांक 8 सन् 1851) जो कि वह छत्तीसगढ़ राज्य को लागू है, की धारा 2 में सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य शासन एतद्द्वारा ऐसे 7 पुलों को, जो संलग्न परिशिष्ट "क" में सूचीबद्ध है, पर पथकर अधिरोपित करने हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23/4/2000/सा-19, भोपाल दिनांक 27-1-2000 में संलग्न द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उद्ग्रहित करता है.

राज्य शासन यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-31-19/84/जी-19/720 दिनांक 12-6-85 की तृतीय अनुसूची में एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-23-2/94/जी-19, दिनांक 9-5-1994 में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर देनगी से छूट रहेगी.

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में निर्मित पुलों की सूची जिन पर टोल टैक्स लगाना प्रस्तावित है.

परिशिष्ट -"क"

सरल क्र.	पुल का नाम एवं मार्ग का नाम	लागत (रु. लाख में)	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चिनार पुल धनेली कन्हार तेलावट मार्ग के कि. मी. 1/10 पर स्थित	72.00	
2.	रिसेवाड़ा पुल आमोड़ा नरहरपुर मार्ग के कि. मी. 19/4 पर स्थित	133.78	
3.	चिनार पुल कांकेर देवरी मार्ग के कि. मी. 11/4 पर स्थित	115.00	
4.	भैसगुड़ी पुल धनसरा भैसगुड़ी मार्ग के कि. मी. 2/2 पर स्थित	123.75	
5.	खोरसी नाला पुल संकरी बोरतरा औरासी मार्ग के कि. मी. 6/4 पर स्थित	80.00	
6.	चिचलगोंदी नाला पुल राजनांदगांव अर्जून्दा गुण्डरदेही मार्ग के कि. मी. 34/10 पर स्थित	85.00	
7.	शबरी पुल सुकमा मालकनगिरी मार्ग के कि. मी. 7/6 पर स्थित	155.24	

Raipur, the 20th February 2006

NOTIFICATION

No. 1328/839/06/19/Tech. .— In exercise of the powers conferred by section 2 read with Section 4 of the Tolls Act (VIII of 1851) in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government hereby levies Toll-Taxes on 7 bridges enlisted in Appendix A appended herewith, at the rates specified in the second schedule appended to this department's Notification No. F-23/4/2000/G-19, Bhopal dated 27-1-2000 and declares that the vehicles , specified in the third schedule to this department's Notification No. F-31/19/84/19/720, dated 12-6-85 and Notification No. F-23-2-94/G/19, dated 9-5-94 shall be exempted from the payment of the said tolls. This order will be enforced with effect from the date of its publication.

These orders shall come into force from the date of this Notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. JOY OOMMEN, Principal Secretary.